

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायतु
रवेताराम बनाम अचलाराम कोटा

किस्म मुकदमा No. 111/128 नं. 113 सन् 2018
RUBAN

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 22.3.18 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रवेताराम शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RUBAN</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>27.3.18</u> को पेश हो।</p> | |
| 27/03/18 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामील सुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथीगण वाक्युद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति ठाहल हुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने पत्रावली की प्रार्थी को अपने पत्रावली में के यारी मौर पत्रों ने अधम स्थापित इतवाना का प्रथम ई इतलिये प्रार्थी डा ने अधमवनी कावेडन स्वयं किया जाडर ने अधमवनी कावेडन किया जावे। कतः प्रार्थी डा ने अधमवनी कावेडन स्वीडर किया जाडर तहसीलदार का मसु डा उपस्थित निमुपत्त किया जात ई व कावेडन किया जात है कि काय स्वयं मा कपने अधिनियम किसी भी भू-समिलेय निरेसड से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्रों ने अधमवनी सुडे य सुद्धा जमा डलाडर इ पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की पत्रावली केमल सुगाट दी इत नम्बर में हुक्म दी, दामिल इतलर है।</p> | |

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2018 / 412

दिनांक:-27 / 03 / 2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
निवासी हेमाणियों का तला (बाटाडु)
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. अचलाराम पुत्र मगाराम वगैरा 16
जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 113/18

आदेश

मौजा हेमाणियों का तला पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1574/1526, रकबा 6.11 बीघा की भूमि के चारों तारफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकार किया जाता है।



कमांक / वाद / 2018 / 413-417

सहायक कमिश्नर (SDO)
बायतु
दिनांक:- 27 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु।

सहायक कमिश्नर (SDO)
बायतु